# हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

**अष्टम् सत्र**

**समाचार भाग-1**

**संख्याः 81**

**वीरवार, 9 अप्रैल, 2015/19 चैत्र, 1937(शक्)**

**सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख**

**<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>**

**सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।**

**<u>11.00AM</u>**

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 2082, 2084 से 2094 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 2083 का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 2095 से 2132 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 903 से 929 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2.00 PM

## व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुर, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहाः-

"मेरे चुनाव क्षेत्र में सिविल सिप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से जो नमक सप्लाई किया जा रहा है, पानी की कटोरी में डाल कर भी वह पिघल नहीं रहा है। काफी देर तक कटोरी में नमक डालने के बावजूद जब वह नमक नहीं पिघला तो हमने उंगली से उसको देखा तो पाया कि उसमें रेत के कण थे। हमने जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि सचमुच में इस प्रकार की हमको शिकायत मिली है और उसके बाद हमने इस सप्लाई को बन्द कर दिया है। यह बहुत गम्भीर मामला है।"

इस पर माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने उत्तर में कहाः-

"किसी की भी सरकार रही हो इस प्रकार के लगभग 95 परसेंट सैम्पल फेल हुए थे। इस नमक की सप्लाई हम बन्द करना चाहते है और यह हमने दो-तीन महीने से डिस्कंटिन्यू की है और जब अगला नमक लेंगे, हमने विभाग को आदेश दिए है कि जब तक अच्छी क्वालिटी का नमक नहीं होगा, हम आगे सप्लाई नहीं करेंगे। यह डिसिज़न ऑलरेडी लिया जा चुका है।"

12.05 PM

## 2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 26 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम, 2013 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(2) **श्री जी0एस0बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य (इंजिनियरिंग), वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टीई)-ए(3)-29/2012 दिनांक 29.03.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.04.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं मानविकी(भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और अंग्रेजी), वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टीई)-ए(3)3/2012 दिनांक 31.03.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.04.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, प्रवक्ता, वास्तुकला(बहुतकनीकी) वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टीई)ए(3)5/2011 दिनांक 04.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक निदेशक/प्राधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः ईडीएन(टीई)ए(3)7/2012-पार्ट-1 दिनांक 02.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.04.2014 को प्रकाशित; और

(v) हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मशाला अधीक्षक(बहुतकनीकी), वर्ग-1(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःईडीएन(टीई)ए(3)4/2011 दिनांक 02.04.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.04.2014 को प्रकाशित।

[(i) **से** (v) **तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है।**]

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

**12.08 PM**

## मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने श्री रिखी राम कौंडल, सदस्य द्वारा पूर्व में श्री जोध सिंह, निवासी पराहु, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर की जंगल में मिली लाश के बारे में उठाए गए विषय के संबंध में वक्तव्य दिया।

**12.12 PM**

## 3. विधायी कार्यः

### सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) कल दिनांक 8.4.2015 को **माननीय मुख्य मंत्री द्वारा** हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर माननीय सदन की सहमति उपरान्त आज दिनांक 9.4.2015 को चर्चा करने का निर्णय लिया है।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री सुरेश भारद्वाज
2. श्री रविन्द्र सिंह
3. श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
4. श्री रणधीर शर्मा

**(उपरोक्त विधेयक पर विपक्ष द्वारा अधिक समय की मांग करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपके चार स्पीकर बोल चुके हैं और जो उन्होंने बोला है उसमें सारी Spirit of the Speech आ गई है। इसके अलावा बाकी एजेंडा भी है। अगर और सदस्य भी बोलने चाहेगे तो ब्रीफ़ में चर्चा कीजिए। लेकिन इस बीच दोनों ओर से टीका-टिप्पणी हुई जिसके फलस्वरूप विपक्ष के सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए तथा नारेबाजी करने लगे। उत्तेजित विपक्षी सदस्य सदन के वैल में आ गए तथा नारेबाजी जारी रखी)**

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर सभा पटल पर रखा समझा गया।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 से 37 तक विधेयक का अंग बने।
अनुसूचियां विधेयक का अंग बनी।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 10)पारित हुआ।

**(सदन की बैठक 1.35 बजे अपराहन दोपहर के भोजनोवकाश के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई)।**

**(सदन की बैठक अपराह्न 2.30 बजे पुनः आरम्भ हुई)।**

2.30 PM

## अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

मुझे खेद है कि विधान सभा में एक-दो दिन से कुछ सदस्य चेयर के अगेन्स्ट और डिप्टी-स्पीकर के चेयर के गरिमा के विरूद्ध नारे लगाते और अपशब्द बोलते रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी को मौका नहीं देते हैं। आपको बोलने का पूरा अवसर दिया जाता है। बोलने के लिए आप जो मर्जी कहिए परन्तु चेयर की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। मान्य सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके अगेन्स्ट बोल रहे हैं। आपने जो आज अपशब्द बोले हैं डिप्टी-स्पीकर के अगेन्स्ट, मैं उस पर नोट लेता हूं।

हम पूरा ऐक्शन ले सकते हैं और आपको रेप्रिमांड कर सकते हैं। जो भी है, मेम्बर्ज़ को शालीनता से बोलना चाहिए। आप डिसकशन में हिस्सा लीजिए और टाईम का भी ख्याल रखिए। ऐसा कोई रेज्योल्यूशन नहीं होता जिसमें आप इन-डेफिनेटली बोलते जाएं और टाईम निर्धारित न हो। टाईम को निर्धारित करना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। आज भी जो गवर्नमैंट का बिल है, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप इतना बोल कर भी, ऑपोजिशन के सीनियर मैम्ब्र्ज़ इस बिल पर बोले हैं और अन्य सदस्यों को भी मैं आमंत्रित कर रहा था कि आप बोलिए, थोड़ा-थोड़ा बोलिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप इस बिल को पास करने के या इस बिल पर चर्चा करने के हक में नहीं हैं। मुझे तो ऐक्शन लेना है। लेकिन यह बड़े दुःख की बात है।

2.40 AM

## 4. गैर-सरकारी सदस्य कार्यः

### "संकल्प"

**पहला संकल्पः**

श्रीमती आशा कुमारी, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"This House resolves that a master plan be drawn up for the entire State to earmark & construct parking's at district headquarters and places of religious and tourist importance."

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री महेश्वर सिंह
2. श्री कुलदीप कुमार
3. श्री सुरेश भारद्वाज
4. श्री अनिरूद्ध सिंह

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को वापिस लेने का आग्रह किया।

संकल्प वापिस हुआ।

**दूसरा संकल्पः**

श्री सुरेश कुमार, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाई जाए ।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री जगजीवन पाल, मुख्य संसदीय सचिव
2. श्री रिखी राम कौंडल
3. श्री किशोरी लाल
4. श्री महेश्वर सिंह
5. डॉ0 राजीव सैजल

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प को वापिस लेने का आग्रह किया।

संकल्प वापिस हुआ।

**तीसरा संकल्पः**

**श्री इन्द्र सिंह, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कियाः-**

"यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने के लिए शिक्षा के ढांचे में आमूल परिवर्तन करने हेतु नीति बनाए ।"

संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया और इस पर चर्चा आगामी सत्र में होगी।

**सदन की बैठक अपराह्न 5.00 बजे शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।**